प्रेषक,

जिलाधिकारी,
जालौन स्थान उरई।

सेवा में,

स्थायी अधिवक्ता,
मा0राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली ।

संख्या 754 /खनिज–एम0एम0सी0–30 दिनांकः 25 अक्टूबर ,2022

विषयः– मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण प्रधान पीठ नई दिल्ली में योजित अपील सं0 07/2022 घनई बनाम State level Envionmental Impect Assessment Authority & Others में प्रतिशपथ पत्र दाखिल कराये जाने के संबंध में ।

महोदय,

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण प्रधान पीठ नई दिल्ली में योजित अपील सं0 07/2022 घनई बनाम State level Envionmental Impect Assessment Authority & Others की प्रति इस कार्यालय को प्राप्त हुयी है। प्रश्नगत अपील में मा0 न्यायाधिकरण में प्रतिशपथ दाखिल कराया जाना है।

उक्त संबंध में अवगत कराना है कि प्रश्नगत अपील में प्रतिशपथ पत्र दाखिल कराये जाने हेतु प्रस्तरबार आख्या तैयार कराकर शासन के अनुमोदन प्राप्त करने हेतु शासन को प्रेषित की गयी है।

अतः मा0 अधिकरण में योजित उक्त अपील में तैयार प्रस्तरबार आख्या इस पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जा रही है। कृपया प्रश्नगत अपील में प्रतिशपथ पत्र तैयार कराने का कष्ट करें तथा प्रश्नगत अपील में प्रस्तरबार आख्या में शासन का अनुमोदन की प्रत्याशा में सुनवाई की अग्रिम तिथि नियत कराने हेतु यथोचित कार्यवाही कराने का कष्ट करें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार ।

भवदीय,

(चाँदनी सिंह)
जिलाधिकारी,जालौन।

पत्र पृ0सं0 /खनिज–एम0एम0सी0–30 तद्दिनांक।

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित ।

1– सचिव, भूतत्व एंव खनिकर्म विभाग उ0प्र0 शासन, लखनऊ।
2– निदेशक, भूतत्व एंव खनिकर्म निदेशालय उ0प्र0 लखनऊ।

(चाँदनी सिंह)
जिलाधिकारी,जालौन।

Scanned with OKEN Scanner

मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण प्रधान पीठ, नई दिल्ली में प्रस्तुत मूल प्रार्थना पत्र संख्या–07/202022 (आई0ए0 नं0 50/2022 व आई0ए0 नं0 51/2022) घनई बनाम स्टेट लेवल एन्वाइरन्मन्ट इम्पैक्ट असिसमेन्ट अथॉरिटी (SEIAA) उ0प्र0 व अन्य की प्रस्तरवार आख्या।

प्रस्तर सं0–1	यह कि इस प्रस्तर में याची द्वारा किया गया कथन अस्वीकार है। जनपद जालौन की तहसील उरई ग्राम नन्धा गाटा संख्या–3ग खण्ड सं0–3 रकवा 08.502 हे0 बालू/मौरम खनन पटटा हेतु संगठित है। उक्त खनन क्षेत्र में शासन की नई खनन नीति के अन्तर्गत निर्गत शासनादेश दिनांक 14.08.2017 व 20.08.2019 के क्रम में ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से व्यवस्थित कराये जाने के लिये वन प्रभाग जनपद जालौन से वन अनापत्ति प्रमाण पत्र सं0 519 दिनांक 14.08.2017 प्राप्त होने के उपरान्त शानादेश में निर्दिष्ट निर्देशो के अनुसार क्षेत्र में उपखनिज की उपलब्धता की जांच संयुक्त समिति से कराकर वार्षिक खनन योग्य मात्रा की आख्या दिनांक 26.06.2019 प्राप्त हुयी तथा प्रश्नगत खनन क्षेत्र को ई–निविदा सह ई–नीलामी के माध्यम से 05 वर्षीय खनन पटटा दिये जाने हेतु विज्ञप्ति 258/एम0एम0सी0–30/2018–19 दिनांक 04.07.2019 प्रकाशित कराकर नोडल नामित संस्था एम0एस0टी0सी0 के माध्यम से ई–निविदा सह ई–नीलामी की कार्यवाही सम्पन्न करायी गयी, जिसमें याची की सर्वोच्च दर रू0 312/–प्रतिघनमीटर प्राप्त हुयी। प्राप्त सर्वोच्च ई–निविदा दर पर याची को प्रश्नगत खनन क्षेत्र में खनन पटटा स्वीकृत किये जाने हेतु लेटर ऑफ इन्टेन्ट (सहमति पत्र) संख्या–574/खनिज–एमएमसी–30 (ई–टेण्डर/2019) दिनांक 24.10.2019 निर्गत कर खनन पटटा निष्पादन हेतु स्वीकृत खनन योजना एंव पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिये निर्देशित किया गया। याची द्वारा प्रश्नगत खनन क्षेत्र के लिये स्वीकृत खनन योजना दिनांक 30.06.2020 एंव पर्यावरण स्वच्छता प्रमाण पत्र दिनांक 03.12.2021 प्रस्तुत करने पर नियमानुसार खनन क्षेत्र का सीमांकन कराकर याची के पक्ष में जनपद जालौन तहसील कालपी ग्राम नन्धा के गाटा सं0 3ग खण्ड सं0–3 रकवा 08.502हे0 क्षेत्र पर दिनांक 03.01.2022 से दिनांक 02.01.2027 तक पांच वर्ष की अवधि के लिये स्वीकृत/निष्पादित किया गया है।
प्रस्तर सं0–2	यह कि याची द्वारा इस प्रस्तर में किया गया कथन अस्वीकार है। प्रश्नगत खनन पटटा उ0प्र0 उपखनिज (परिहार) नियमावली 1963 यथा संशोधित 2021 एंव संगत शासनादेश दिनांक 14.08.2017 व 20.08.2019 में उल्लिखित प्राविधानो के अन्तर्गत समस्त औपचारिकताओं को पूर्णत कराते हुये नियमानुसार स्वीकृत/निष्पादित किया गया है, जिसका विस्तृत विवरण प्रस्तर–1 में उल्लिखित किया गया है।
प्रस्तर सं0–3	यह कि इस प्रस्तर में याची का स्वंय कथन है, जिस पर किसी टिप्पणी की आवश्यकता नही है। विस्तृत विवरण प्रसतर–1 में उल्लिखित है।
प्रस्तर सं0–4	यह कि याची द्वारा इस प्रस्तर पर किसी टिप्पणी की आवश्यकता नही है।
प्रस्तर सं0–5	यह कि याची द्वारा इस प्रस्तर पर किसी टिप्पणी की आवश्यकता नही है।
प्रस्तर सं0–6	यह कि याची द्वारा इस प्रस्तर पर किसी टिप्पणी की आवश्यकता नही है।
प्रस्तर सं0–7	यह कि याची द्वारा इस प्रस्तर पर किसी टिप्पणी की आवश्यकता नही है।
प्रस्तर सं0–8	यह कि याची द्वारा इस प्रस्तर पर किसी टिप्पणी की आवश्यकता नही है।
प्रस्तर सं0–9	यह कि इस प्रस्तर में याची का स्वंय कथन है, जिस पर किसी टिप्पणी की आवश्यकता नही है।
प्रस्तर सं0–10	यह कि याची द्वारा इस प्रस्तर पर किसी टिप्पणी की आवश्यकता नही है।
प्रस्तर सं0–11	यह कि याची द्वारा इस प्रस्तर पर किसी टिप्पणी की आवश्यकता नही है।
प्रस्तर सं0–12	यह कि याची द्वारा इस प्रस्तर पर किसी टिप्पणी की आवश्यकता नही है।

.....2

Scanned with OKEN Scanner

प्रस्तर सं0–13	यह कि याची द्वारा इस प्रस्तर मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश का उल्लेख किया गया है, जिस पर किसी टिप्पणी की आवश्यकता नही है तथा शेष कथन याची का स्वंय का है, जिस पर किसी टिप्पणी की आवश्यकता नही है।
प्रस्तर सं0–14	यह कि याची द्वारा इस प्रस्तर पर किसी टिप्पणी की आवश्यकता नही है।
प्रस्तर सं0–15	यह कि याची द्वारा इस प्रस्तर पर किसी टिप्पणी की आवश्यकता नही है।
प्रस्तर सं0–16	यह कि याची द्वारा इस प्रस्तर पर किसी टिप्पणी की आवश्यकता नही है।
प्रस्तर सं0–17	यह कि याची द्वारा इस प्रस्तर पर किसी टिप्पणी की आवश्यकता नही है।
प्रस्तर सं0–18	यह कि याची द्वारा इस प्रस्तर पर किसी टिप्पणी की आवश्यकता नही है।
प्रस्तर सं0–19	यह कि याची द्वारा इस प्रस्तर पर किसी टिप्पणी की आवश्यकता नही है।
प्रस्तर सं0–20	यह कि याची द्वारा इस प्रस्तर पर किसी टिप्पणी की आवश्यकता नही है।
प्रस्तर सं0–21	यह कि इस प्रस्तर में याची का स्वंय कथन है, जिस पर किसी टिप्पणी की आवश्यकता नही है।
प्रस्तर सं0–22	यह कि याची द्वारा इस प्रस्तर पर किसी टिप्पणी की आवश्यकता नही है।
प्रस्तर सं0–23	यह कि याची द्वारा इस प्रस्तर पर किसी टिप्पणी की आवश्यकता नही है।
प्रस्तर सं0–24	यह कि इस प्रस्तर में याची का स्वंय कथन है, जिस पर किसी टिप्पणी की आवश्यकता नही है। विस्तृत विवरण प्रस्तर सं0–1 में उल्लिखित किया गया है।
प्रस्तर सं0–25	यह कि इस प्रस्तर में याची का स्वंय कथन है, जिस पर किसी टिप्पणी की आवश्यकता नही है।
प्रस्तर सं0–26	यह कि याची द्वारा इस प्रस्तर पर किसी टिप्पणी की आवश्यकता नही है।
प्रस्तर सं0–27	यह कि याची द्वारा इस प्रस्तर पर किसी टिप्पणी की आवश्यकता नही है।
प्रस्तर सं0–28	यह कि याची द्वारा इस प्रस्तर पर किसी टिप्पणी की आवश्यकता नही है।
प्रस्तर सं0–29	यह कि इस प्रस्तर में याची का स्वंय कथन है, जिस पर किसी टिप्पणी की आवश्यकता नही है।
प्रस्तर सं0–30	यह कि इस प्रस्तर में याची का स्वंय कथन है, जिस पर किसी टिप्पणी की आवश्यकता नही है।
प्रस्तर सं0–31	यह कि याची द्वारा इस प्रस्तर पर किसी टिप्पणी की आवश्यकता नही है।
प्रस्तर सं0–32	यह कि इस प्रस्तर में याची का स्वंय कथन है, जिस पर किसी टिप्पणी की आवश्यकता नही है। विस्तृत विवरण प्रस्तर सं0–1 में उल्लिखित किया गया है।
प्रस्तर सं0–33	यहकि याची द्वारा इस प्रस्तर में किया गया कथन जिस प्रकार वर्णित है, अस्वीकार है। विस्तृत विवरण प्रस्तर सं0–1 में उल्लिखित किया गया है।
प्रस्तर सं0–34	यह कि इस प्रस्तर में याची का स्वंय कथन है, जिस पर किसी टिप्पणी की आवश्यकता नही है। विस्तृत विवरण प्रस्तर सं0–1 में उल्लिखित किया गया है।
प्रस्तर सं0–35	यह कि याची का अपना कथन है, जिस पर किसी टिप्पणी की आवश्यकता नही है।
प्रस्तर सं0–36	यह कि याची का अपना कथन है, जिस पर किसी टिप्पणी की आवश्यकता नही है।
प्रस्तर सं0–37	यह कि याची का अपना कथन है, जिस पर किसी टिप्पणी की आवश्यकता नही है।
प्रस्तर सं0–38	यह कि याची का अपना कथन है, जिस पर किसी टिप्पणी की आवश्यकता नही है।
प्रस्तर सं0–39	यहकि उपरोक्त तथ्यो से स्पष्ट है कि योजित अपील के प्रस्तर–39 के ग्राउन्ड ए लगायत डीडी तक किये गये कथन निरस्त किये जाने योग्य है।

उक्त के अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि याची श्री घनई पुत्र श्री विन्दे द्वारा शपथ पत्र/प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर यह अवगत कराया गया है कि उसके द्वारा उक्त याचिका/अपील मा0 अधिकरण में प्रस्तुत नही की गयी है और न ही इसके संबंध में कोई जानकारी है।

उपरोक्त वर्णित तथ्यो के आलोक में मा0 अधिकारण में योजित अपील निरस्त किये जाने योग्य है। कृपया अपील निरस्त करने की कृपा करें।

जिलाधिकारी,
जालौन स्थान उरई।

Scanned with OKEN Scanner